

अनुसूची २१-अपन सं० ११११

प्रमाणक सं० - 619 - 1/2023 - 2023
 आवेदन सं० 30/10/2023 - 20

संपत्ति - अवभार - प्रमाण - पत्र

चूंकि श्री (Fogt - Surjit Kumar Ray) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करनेवाली संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमानियों में ता० ०१-०१-१९९३ से ता० ३१-०३-२०२३ तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन (ख) दस्तावेज का		पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
		निष्पादन की तारीख	प्रकार और मूल्य	निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१		३	४	५	६	७	८	९
१०	सौदा - श्यामगंज धाना नगर - 413 T.P.P. No - 776 Holding - - No - 0320000736000Mo 10 and no - 32 वर्तमान - - जम केंदी नगर - 54/3217, 55/3218/2, 256/3665 - - सा/1 शक्या - 16000 - 413 T.P.P. नगर							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ वर्षक-पत्र की दशा में, व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वध कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 २ पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्ज करें।


M/S Shree Vinayaka Homes


Proprietor

(2)

में यह भी प्रमाणित करता है कि संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-


(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की


(हस्ताक्षर) :- आश्वतोष कुमार यादव -

(पदनाम) :- लिपिक ।

कार्यालय 

तारीख कार्यालय देवघा




निवन्धन प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर
01/11/2023

टिप्पणी (१)-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निवन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को अवरुध हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(३) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(४) और चूंकि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वार दूढ़े गये गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

M/S Shree Vinayaka Homes


Proprietor